वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		24.00	3283.41	3307.41	26.18	2357.64	2383.82	25.81	3075.66	3101.47
पूंजी		*...*	*209.13*	*209.13*	*...*	*360.11*	*360.11*	*...*	*630.89*	*630.89*
जोड़		**24.00**	**3492.54**	**3516.54**	**26.18**	**2717.75**	**2743.93**	**25.81**	**3706.55**	**3732.36**
औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2885	...	574.10	574.10	...	255.00	255.00	...	495.00	495.00
2. निगमित एसएएसएफ प्रतिभूति के लिए	6885	...	9000.00	9000.00	...	9000.00	9000.00	...	...	...
आस्ति प्रबंधन न्यास	8012	...	-9000.00	-9000.00	...	-9000.00	-9000.00	...	...	...
	निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2885	...	226.00	226.00	...	316.00	316.00	...	300.00	300.00
4. आईसीआईसीआई बैंक	2885	...	...	...	...	50.00	50.00	...	37.50	37.50
5. भारतीय निर्यात आयात बैंक	2885	...	14.53	14.53	...	...	...	...	...	...
	4885	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
	जोड़	*...*	*214.53*	*214.53*	*...*	*200.00*	*200.00*	*...*	*200.00*	*200.00*
6. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	2885	...	143.00	143.00	...	143.00	143.00	...	...	...
	4885	...	...	...	...	...	...	...	150.00	150.00
	जोड़	*...*	*143.00*	*143.00*	*...*	*143.00*	*143.00*	*...*	*150.00*	*150.00*
7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	2885	24.00	...	24.00	21.18	...	21.18	22.00	...	22.00
जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		**24.00**	**1157.63**	**1181.63**	**21.18**	**964.00**	**985.18**	**22.00**	**1182.50**	**1204.50**
कृषि वित्तीय संस्थाएं										
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2416	...	5.30	5.30	...	5.30	5.30	...	5.18	5.18
9. सहकारी ऋण ढ़ांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान	2416	...	800.00	800.00	...	200.00	200.00	...	600.00	600.00
10. जल संचयन योजना के लिए नाबार्ड को अनुदान सहायतानुदान	2416	...	...	...	5.00	...	5.00	3.81	...	3.81
11. कृषि ऋण सहायता योजना	2416	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00
जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं		**...**	**805.30**	**805.30**	**5.00**	**205.30**	**210.30**	**3.81**	**606.18**	**609.99**
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
12. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूंजी की वापसी	5465	...	...	...	...	-30.00	-30.00	...	...	...
मोचन की गई प्रतिभूतियां	8012	...	...	...	...	30.00	30.00	...	...	...
13. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम	*निवल*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
को सहायता	3465	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00
निर्गमित प्रतिभूतियां	8012	...	...	...	...	-362.00	-362.00	...	...	...
	निवल	*...*	*1200.00*	*1200.00*	*...*	*838.00*	*838.00*	*...*	*1200.00*	*1200.00*
14. अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी लि. को अनुदान	3465	...	...	...	...	4.30	4.30	...	5.00	5.00
15. इक्विटी अंतरण के कारण आईडीएफसी में निवेश के लिए प्रदत्त प्रीमियम	3465	...	...	...	...	104.87	104.87	...	...	...
16. आईडीएफसी में निवेश	5465	...	...	...	...	150.00	150.00	...	...	...
17. आईडीएफसी को ऋण	7465	...	...	...	...	350.00	350.00	...	...	...
निर्गमित प्रतिभूतियां	6001	...	...	...	...	-350.00	-350.00	...	...	...
	निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
18. भारतीय जीवन बीमा निगम लि. में निवेश	5465	...	...	...	...	...	...	...	280.00	280.00
जोड़-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं		**...**	**1200.00**	**1200.00**	**...**	**1097.17**	**1097.17**	**...**	**1485.00**	**1485.00**
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
19. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	5466	...	...	...	...	...	...	...	357.14	357.14
	6001	...	...	...	...	...	...	...	-357.14	-357.14
	निवल	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*

(करोड़ रुपए)

		बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेय सेवा प्रभार	2047	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
21. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	5466	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
22. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	5466	...	0.01	0.01	...	1.04	1.04	...	...	...
23. एशियाई विकास बैंक	5466	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
24. अफ्रीकी विकास निधि/बैंक	5466	...	9.08	9.08	...	9.03	9.03	...	0.85	0.85
25. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए)	5466	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
26. कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि	2416	...	23.00	23.00	...	22.74	22.74	...	23.00	23.00
27. विकास गेटवे फाउंडेशन को अंशदान	3466	...	7.68	7.68	...	15.60	15.60	...	...	...
28. अफगानिस्तान पुनर्निमाण न्यास निधि	3466	...	0.95	0.95	...	0.95	0.95	...	0.95	0.95
29. ईराक के लिए बहु-दाता तकनीकी सहायता उपखाते में अंशदान	3466	...	0.55	0.55	...	0.90	0.90	...	0.69	0.69
जोड़-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		**...**	**41.31**	**41.31**	**...**	**50.30**	**50.30**	**...**	**25.53**	**25.53**
30. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
30.01 गोआनी बैंक	2885	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.08	0.08
नौवहन										
31. जहाजों के अधिग्रहण के लिए ब्याज के अंतर के संबंध में आर्थिक सहायता	3052	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
32. विदेशी मुद्रा हानि की क्षतिपूर्ति										
32.01 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3475	...	0.01	0.01	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
32.02 आईसीआईसीआई बैंक	3475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
32.03 राष्ट्रीय आवास बैंक	3475	...	7.70	7.70	...	7.48	7.48	...	7.70	7.70
	जोड़	...	*7.72*	*7.72*	...	*12.49*	*12.49*	...	*12.71*	*12.71*
33. इण्डिया मिलेनियम जमाराशियों पर होने वाली मुद्रा हानि के लिए अंशदान	3475	...	208.00	208.00	...	...	...	...	1.00	1.00
	6001	...	-208.00	-208.00	...	...	...	...	-1.00	-1.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34. अन्य व्यय	3466	...	0.47	0.47	...	0.22	0.22	...	0.33	0.33
	4885	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	...	*0.48*	*0.48*	...	*0.23*	*0.23*	...	*0.34*	*0.34*
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
35. समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को आर्थिक सहायता	2235	...	5.00	5.00	...	...	...	...	0.01	0.01
36. वरिष्ठ नागरिकों की पेन्शन योजना के लिए जीवन बीमा निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	150.00	150.00	...	263.16	263.16	...	269.19	269.19
विविध सामान्य सेवाएं										
37. गारंटी मोचन निधि को अंतरण	2075	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00
कुल जोड़	***24.00***	***3492.54***	***3516.54***	***26.18***	***2717.75***	***2743.93***	***25.81***	***3706.55***	***3732.36***	
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं	12885	24.00	...	24.00	21.18	...	21.18	22.00	...	22.00
2. कृषि वित्तीय संस्थाएं	12416	...	...	...	5.00	...	5.00	3.81	...	3.81
जोड़		**24.00**	**...**	**24.00**	**26.18**	**...**	**26.18**	**25.81**	**...**	**25.81**

सं.34/वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंकः** यह एक शीर्ष संस्था है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करती है तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान करके और उनके ऋण-पत्र निर्गमों के लिए अभिदान करके उनके क्रियाकलापों को समन्वित तथा अनुपूरित करती है। बजटीय सहायता यू.एस.एडआईडी ग्रीन हाऊस प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, एडीबी ऋण श्रृंखला के लिए तथा पुनर्सरंचना देयताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है।

3. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगमः** यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों के लिए अभिदान करता है; यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋणों की गारन्टी भी देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए स्टाक, शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी भरता है। बजटीय सहायता पुनर्सरंचना देयताओं को पूरा करने के लिए है।

4. **आईसीआईसीआई बैंक** :- सरकार की सहायता विदेशी सहायता के अतरण के लिए मदद को आगे देने तथा विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए व्यवस्था करने तक सीमित है।

5. **भारतीय निर्यात-आयात बैंक :** निर्यातकों तथा आयातकों को वित्तीय सहायता देता है तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से माल तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सरकार से निधियां अंश पूंजी तथा विदेशी ऋण से अनुदानों के रूप में है।

6. **भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक** कोलकाता में स्थित एकमात्र विकास वित्तीय संस्था है। यह प्रावधान ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए है।

7. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंकः** इसे लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, उनकी वित्त व्यवस्था तथा विकास करने तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों के समन्वयन हेतु एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक बैंक के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यह अपने कार्यकलापों को ऋण देने वाले मौजूदा तंत्र के माध्यम से पूरा करता है जिसमें राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। यह प्रावधान राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अंतर्गत सरकार से इक्विटी सहायता के लिए है।

8. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकः** यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण देकर एकीकृत ग्रामीण विकास का संवर्धन करता है; राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है; तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कतिपय संस्थाओं को सीधे वित्तीय सहायता भी देता है। बजटीय सहायता कृषि विकास के लिए तथा सरकार के विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विदेशी अभिकरणों से प्राप्त विदेशी सहायता की सीमा तक रुपया प्रतिरूप निधि के रूप में है।

9. **सहकारी ऋण सुदृढ़ीकरण हेतु नाबार्ड के माध्यम से अनुदान :** यह प्रावधान सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए सुधार उपाय अपनाने हेतु राज्यों तथा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान देने के लिए है।

10. **जल संचयन योजना के लिए नाबार्ड को अनुदान :** यह प्रावधान अनु. जाति तथा अ.ज.जा. के किसानों को राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना के लिए उदार शर्तों पर धन उधार देने के लिए प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नाबार्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पूंजी संबंधी आर्थिक सहायता दी जा रही है।

11. यह प्रावधान कृषि ऋण सहायता योजना के लिए है जिसे चालू वर्ष के दौरान तैयार किया गया है।

12. यह प्रावधान एफपीओ के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इक्विटी (अंकित मूल्य) वापस करने के लिए है।

13. यह भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम को सहायता के लिए प्रावधान की द्योतक है।

14. भारत सरकार की सहायता बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अभिकरणों से विदेशी सहायता के अनिवार्य अंतरण के लिए है।

15-17. यह प्रावधान भा.रि. बैंक इक्विटी के अंतरण तथा आईडीएफसी को अधीनस्थ किए गए ऋण के संबंध में भा.रि. बैंक को भुगतान करने के लिए है।

18. यह प्रावधान प्रचालनों के विस्तार तथा पूंजी आधार के संवर्धन के लिए जीवन बीमा निगम को सहायता के लिए है।

19. यह प्रावधान आईएमएफ को अभिदान के लिए है।

20. यह प्रावधान सहायक व्यवस्था और प्रतिपूरक तथा आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत किए गए आहरणों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेय सेवा प्रभारों के लिए है। ये प्रभार प्रचलित विनिमय दर पर आधारित हैं।

21. यह प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पूंजी स्टाक में अभिदान करने और डालर मूल्यवर्गित प्रतिभूतियों के लिए देयताओं को पूरा करने के लिए है।

22. स.अ. में यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में निवेश के लिए है।

23. यह प्रावधान एशियाई विकास बैंक के मूल्य भुगतानों के अनुरक्षण को पूरा करने के लिए है।

24. इसमें अफ्रीकी विकास निधि की पूंजी की पूर्ति के लिए और अफ्रीकी विकास बैंक की पूंजी के स्टाक में अंशदान के लिए भारत के अंश का प्रावधान किया गया है।

25. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए) के भुगतान के लिए यह प्रावधान रखा गया है।

26. यह प्रावधान आई.एफ.ए.डी. को भारत के अंशदान के लिए है।

27. यह विकास गेटवे फाउंडेशन में भारत के अंशदान का द्योतक है।

28. यह अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि के लिए बहु-दाता तकनीकी सहायता उप-खाते के लिए भारत का अंशदान है।

29. यह इराक के लिए बहुदाता तकनीकी सहायता उपखाते के लिए भारत का अंशदान है।

30. इसमें गोआनी बैंकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरों में रिआयत के बदले आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है।

31. नौवहन कंपनियां बैंक ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दर की अपेक्षा कम दर पर ब्याज की अदायगी करती हैं; इस अंतर को सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता द्वारा पूरा किया जाता है।

32. यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास विकास वित्त निगम को इन संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों के ऋणों की वापसी में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु भरपाई के प्रति है।

33. यह प्रावधान इंडिया मिलेनियम डिपाजिट के कारण मुद्रा हानि के लिए सरकार के अंशदान के लिए किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में समतुल्य निवेश को संशोधित प्रक्रिया के अनुसार घटाया जा रहा है। केवल एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

34. इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एस.डी.आर. लेखा के प्रशासन के लिए देय निर्धारण प्रभारों और स्टेट बैंक आफ सिक्किम (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देय राशि के लिए प्रावधान शामिल है।

35. यह समुदाय आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए तथा सरकारी क्षेत्र की साधारण-बीमा कम्पनियों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है।

36. यह प्रावधान पालिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के भुगतान तथा पालिसी धारकों के नामितियों को क्रय मूल्य के समतुल्य एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए किया गया है।

37. यह अंशदान गारंटी मोचन निधि की संचित निधि के निर्माण के लिए है।